न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 60/2019 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2019/00064)

गंगाराम पुत्र श्री हरचन्द जाति जाट सां. लम्बोरछोटी तहसील राजगढ जिला चूरू।

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा नायब तहसीलदार राजगढ जिला चूरू।

रेस्पोडेंट

उपस्थितः 1. श्री बालकिशन शर्मा – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 20.01.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 17.07.2013 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का लम्बोर बड़ी ने दिनांक 18.05.2012 को नायब तहसीलदार राजगढ जिला चूरू को रिपोर्ट पेश की, कि रोही ग्राम लम्बोर छोटी की भूमि खसरा नं. 72 रकबा 1.30 बीधा मे से गै. मु. गोचर में 0.04 हैक्टर पर भूमि पर गंगाराम पुत्र हरचन्द ने अतिक्रमण कर तीन कच्ची खुड्डिया पशु चारा डालने हेतु कर रखी है। तहसीलदार राजगढ द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट ने जबाव नोटिस पर अंकित किया कि उक्त भूमि पर पूर्वजो के समय से काश्त कर रहा है अलग से कोई कब्जा नही किया गया है। नायब तहसीलदार राजगढ जिला चूरू ने निर्णय दिनांक 13.08.2012 द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने जिला कलक्टर चूरू में प्रथम अपील पेश कर नायब तहसीलदार के निर्णय दिनांक 13.08.2012 को अपास्त करने का निवेदन किया। जिस पर

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जिला कलक्टर चूरू द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.07.2013 द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा द्वितीय अपील न्यायालय भू– प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर में प्रस्तुत कर दोनो आदेशो को निरस्त किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया। क्षेत्राधिकार परिर्वतन होने के कारण यह अपील इस न्यायालय को स्थानान्तरित की गई।

3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, अपीलान्ट को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट का अपने पूर्वजो के समय यानि सैकड़ो सालो से ही उक्त स्थल पर कब्जा, निर्माण चला आ रहा है। पुराना निर्माण ज्यो ज्यो वर्षात आदि से नुकसान होता गया उसे मरम्मत कराता चला आया। हल्का पटवारी द्वारा प्रथम पशुचारा डालने की खुडिया स्थल बताया जो बाद मे पशुचारा, पशुधन बान्धना सामान डालना गलत लिखा गया जबकि यह सब सैकड़ो सालो पूर्व समय से चला आया है। जिला कलक्टर चूरू द्वारा पत्रावली पर किये गये कथनो, दस्तावेजात का अवलोकन व मनन न कर नायब तहसीलदार राजगढ का निर्णय यथावत रखा है जो कानूनन गलत है। वादगत स्थल का मौका निरीक्षण सही रूप से कराया जाना अधीनस्थ न्यायालय का कर्तव्य रहा है। यही मांग अपीलान्ट की रही है, मगर ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाना फैसला पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के दोनो आदेश निरस्त किया जावे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। अपीलान्ट ने अपील मीमो मे पटवारी

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हल्का की रिपोर्ट को गलत एव वादगत स्थल का मौका निरीक्षण सही रूप से नही किये जाने का कथन किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक राजगढ की रिपोर्ट दिनांक 26.9.2012 व फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 30.10.2012 के अनुसार ग्राम लम्बोर छोटी के खं. नं. 72 गै. मु. गोचर की 0.04 हैक्टर भूमि पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए निर्णय पारित किया है, साथ ही अपीलान्ट का यह भी कथन है कि उसे सुनवाई का अवसर नही दिया जो सही नही है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार राजगढ में जवाब भी प्रस्तुत किया है, अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर चूरू में स्वय अपील प्रस्तुत की है इस प्रकार अपीलान्ट को दोनो स्तर पर सुनवाई हुई थी। ऐसी स्थिति मे हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही समझते है। अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्व प्रस्तुत अपील में ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नही किया है जो कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में विधिक त्रुटि प्रकट करता हो। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 20.01.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर